


कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा
दिनांक- 01/05/2024

कमांक/रीडर/2024/366/2024
निमित्त-

तहसीलदार काछोला

विषय:- प्र.स. 366/2024 अनवान हीरालाल पिता जवारा मीणा निवासी
लक्ष्मणगढ बनाम रामलाल पिता मिश्रीलाल काहर रूपपुरा निवासी, तहसीलदार
काछोला वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम सरथला प.ह.
सरथला आराजी सं. 151/124 कुल किता 01 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की
उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सरथला को कमीशनर नियुक्त किया
जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें
से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को
प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन
भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम
में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फाई अहकाम

(नियम 26)

अज अवालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

हीरालाल पिता जवारा गीणा निवारी शककरगड

बनाम

रामलाल पिता मिश्रीलाल काहर रूपपुरा

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 366/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियट्स अज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
18/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम सरथला प.ह. सरथला आराजी सं. 151/124 कुल किता 01 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि रिथत है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय वहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम सरथला प.ह. सरथला आराजी सं. 151/124 कुल किता 01 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सरथला को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार काछोला को लिखा जावें। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 18/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा